न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बागोडा

पीठासीन अधिकारीः—श्रीमति गोमती शर्मा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 25 / 18

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. शेरा पुत्र जीया 2. इब्राहिम पुत्र रहीम 3. उम्मेदअली पुत्र मोहम्मद जातियान मुसलमान साकिन छाजाला		1. नूरखा पुत्र फकीरखा 2. अमरखा पुत्र फकीरखा 3. हनीफखा पुत्र फकीरखा 4. मुबारकखा पुत्र फकीरखा 5. सुभान पुत्र कासम 6. लतीफ पुत्र कासम 7. आदम पुत्र कासम 8. गफूर पुत्र हयात 9. सिकन्दर पुत्र हयात 10. हसन पुत्र हयात 11. अब्दूल पुत्र हयात 12. पपो पुत्र हयात जातियान मुसलमान 13. राजस्थान राज्य जरिए भूमिधारी तहसीलदार बागोडा 14. राजस्थान राज्य जरिए भूमिधारी तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर।

प्रार्थना—पत्र बाबत् सीमांकन कर पत्थरगढी करने
अंतर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थितः— प्रार्थीगण वकिल श्री गोरधनराम विश्नोई

निर्णय

दिनांक 28/5/2019

उक्त प्रकरण का संक्षिप्त विवरण विश्लेषण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा छाजाला तहसील बागोडा के खसरा नम्बर 53 रकबा 0.14 है. किस्म बारानी सोयम खसरा नम्बर 55 रकबा 3.22है किस्म बारानी सोयम ग्राम छाजाला में आयी हुई है, प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 52,53,55 के पश्चिमी दिशा की तरफ बागोडा तहसील की सीमा के लगतो— लगत अप्रार्थी सं. 1 से 12 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1,2,3,4 कुल रकबा 151 बीघा 7 बिस्वा ग्राम सरस्वती नगर भेडाणा तहसील गुडामालानी आयी हुई है, प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 52,53,55 के पश्चिमी दिशा की

उपखण्ड अधिकारी
बागोडा (जालोर)

तरफ ग्राम छाजाला की सीमा आज से 34 वर्ष पूर्व द्वितीय भू राजस्व विभाग द्वारा पक्के पत्थर संख्या 9,10,11 स्थापित कर ग्राम छाजाला व ग्राम भेडाणा के बीच स्थापित स्थाई सीमा चिन्ह लगाकर दो गांवो व दोनो तहसीलो के मध्य सीमा कायम की गई थी, लेकिन खसरा नम्बर 1,2,3,4 ग्राम सरस्वती नगर के खातेदारो अप्रार्थी संख्या 1 से 12 ने एकराय होकर राजस्व कार्मिकों द्वारा स्थापित किए गए स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित स्थान से हटाकर प्रार्थीगण की खातेदारी के अंदर डाल दिये है अर्थात प्रार्थीगण के खेत की पश्चिमी माठ को तोडकर समतल कर दिया है तथा माठ के आलामात मिटा दिये है, जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजी में काश्त करने की असुविधा व परेशानी पैदा होती है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 52,53,55 की पश्चिमी दिशा की माठ कायम करवाने हेतु दिनांक 7.7.2018 को श्रीमान तहसीलदार बागोडा के आदेश क्रमांक/एलआर/18 /2055–58 दिनांक 7.7.2018 की पालना में गठित सीमांकन राजस्व टीम ग्राम छाजाला में प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 50,52,53,54,55 का स्थाई बिन्दु खसरा नम्बर 61,72 रेकार्ड में दर्ज बैरे से किया गया, उक्त सीमांकन ग्राम छाजाला व ग्राम सरस्वती नगर भेडाणा के बीच माट का किया गया, जिसमें पत्थर सं. 10 मौके पर मौजूद है, जो नाम में सही जगह पर आ रहा है, लेकिन पत्थर सं. 9 व 11 मौके पर मौजूद नहीं है तथा प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 52,53,55 की पश्चिमी माठ मौके पर स्थिति नहीं है। मौके से माठ के आलामात अप्रार्थी सं. 1 से 12 द्वारा जबरन हटा दिए गए है इसलिए प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 52,53,55 के पश्चिमी माठ को लेकर आए दिन प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं.1 से 12 के मध्य विवाद होता रहता है इस विवाद से बचने हेतु प्रार्थीगण स्थाई समाधान के लिए उक्त प्रार्थना से विवादित माठ को सही कायम करवाकर उस पर पक्के छीणों के टुकडें व तारबंदी करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है, खेत खसरा नम्बर 52,53,55 की माठ ग्राम सरस्वती नगर भेडाना के खातेदार अप्रार्थी सं. 1 से 12 ने जान बुझकर तोडकर स्थाई सीमा चिन्ह नष्ट कर दिए है ताकि वे उक्त बात का फायदा उठाते हुए प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर कब्जा कर काश्त कर सकें ऐसी स्थिति में यदि दोनो गांव के मध्य की सीमा का सीमाज्ञान करके पुनः सीमा निर्धारण नही किया जाता है, प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 52,53,55 की पश्चिमी माठ ग्राम सरस्वती नगर भेडाणा के खातेदार अप्रार्थी सं0 1 से 12 ने जान बुझकर तोडकर स्थाई सीमा चिन्ह नष्ट कर दिये है ताकि वे उक्त बात का फायदा उठाते हुए प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर कब्जा का काश्त कर सके। ऐसी स्थिति

उपखण्ड अधिकारी
बागोड़ा (जालोर)

में यदि दोनो गांवो के मध्य की सीमा का सीमाज्ञान करके पुनः सीमा निर्धारण नहीं किया जाता है तो ग्राम छाजाला के खातेदार के मध्य झगडा टंटा खून खराबा हो सकता है एवं सीमा विवाद होने से प्रार्थीगण किस हद तक अपनी सियालु फसल बो सके ये वो ज्ञात नहीं कर पा रहे है। इसलिए प्रार्थीगण राजस्व अधिकारीयों की टीम/भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा टीम गठित करवाकर प्रार्थीगण के खेत की पश्चिमी माठ कायम कर उक्त माठ पर पक्के सीमेन्ट के पिल्लर या छीणों के टुकडें तथा कांटेदार तार से तारबंदी करवाए जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है ताकि दोनों गांवो के मध्य सीमा विवाद का निस्तारण हो सकें । उक्त सीमा निर्धारण के संबध में जो भी खर्चा आत है हम प्रार्थीगण अदा करने को तैयार है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण के खेत मौजा छाजाला के खसरा नम्बर 52,53,55 का राजस्व टीम गठीत की जाकर स्थाई सीमा चिन्ह पक्के सीमेंट के पिल्लर छीणों के टुकडे लगाकर कांटेदार तार से तारबंदी करवाए जाने के आदेश पारीत करावे।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, इस पर अप्रार्थीगण स0 1 से 12 बावजुद नोटिस तामिल के गैर हाजिर रहे, इस पर अप्रार्थी सं0 1 से 12 के विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अप्रार्थी सं. 13 ने जबाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं. 13 ने जबाब पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 3.7.2018 की पालना में दिनांक 7.7.2018 को सीमांकन किया जो स्वीकार है.

हमने पत्रावली का एवं उस पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया एवं प्रार्थीगण अधिवक्ता की एक पक्षिय बहस सुनी गयी, प्रथम दृष्टया मामला प्राथीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार बागोडा को आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार बागोडा अपनी अध्यक्षता में राजस्व टीम का गठन किया जाकर मौजा छाजाला के खसरा नम्बर 52,53,55 का सीमांकन किया जाकर स्थायी बिन्दु से पैमाईश की जाकर उक्त खसरा नम्बरान के पश्चिमी माठ पर स्थायी सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) स्थापीत करवाये जाने के आदेश पारित किये जाते है।निर्णय की पालना की जाकर पालना रिर्पोट इस न्यायालय में पेश करे। निर्णय सेरे इजलास सूनाया गया, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो.

आदेश आज दिनांक 28/5/2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।